



2026:AHC: 65059

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा

482 बी.एन.एस.एस. संख्या - 1577 वर्ष 2026

वीरेन्द्र कुमार शर्मा

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: राम कुमार

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-72

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।

2- इस न्यायालय ने दिनांक 17.02.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया था :-

"1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राम कुमार और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री बी.पी. मौर्य को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. वर्तमान आवेदन थाना वृन्दावन, जिला मथुरा में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 385 वर्ष 2024, भा.द.सं. की धारा 323, 504, 506, 420, 467, 468, 471 के अंतर्गत अग्रिम जमानत मांगने के लिए इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि गिरफ्तारी की स्थिति में, आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा सके।

3. शुरुआत में ही, विद्वान ए.जी.ए. तर्क प्रस्तुत करते हैं कि उन्हें अभी तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तर्क प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक निर्दोष है और उसे आशंका है कि उसे उपर्युक्त वाद में गिरफ्तार किया जा सकता है। वह आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त श्रीमती जैतून शान, गिरीश कुमार अग्रवाल और नीलिमा अग्रवाल को इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा अंतर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 4631 वर्ष 2025 में पारित आदेश दिनांक 18.6.2026 और अंतर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1464 वर्ष 2025 में पारित आदेश दिनांक 1.5.2025 के माध्यम से पहले ही अग्रिम जमानत दे दी गई है। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि एक अन्य सह-अभियुक्त शहजाद वेग को भी इस न्यायालय द्वारा अंतर्गत 482 बी.एन.एस.एस. आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 117 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांक 13.1.2025 के माध्यम से पहले ही अग्रिम जमानत दे दी गई है। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक को अन्य सह-अभियुक्तों के पक्ष में किए गए कथित विक्रय अनुबंध के साक्षी की भूमिका सौंपी गई है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और वह विवेचना एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगा। यह कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विवेचना में सहयोग करेगा और जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

5. यह बताया जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा महेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011)

1 एस.सी.सी. 694 के वाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत निर्णीत करते समय, न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को अभियुक्त के खिलाफ संपूर्ण उपलब्ध सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए और अभियुक्त की ठोस भूमिका को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त प्रस्तुतीकरणों पर विचार करते हुए और वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, पूर्वोक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदक-वीरेन्द्र कुमार शर्मा को दिनांक 27.3.2026 तक संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर 50,000/- रुपये का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए :-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और वह नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा छूट न दी गई हो;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे/उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा और अंतरिम अग्रिम जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

7. किसी भी शर्त की चूक की स्थिति में, अभियोजन पक्ष को इसमें आवेदक को दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए उपयुक्त आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता होगी।

8. इस वाद को दिनांक 27.3.2026 को नवीन के रूप में सूचीबद्ध करें।

9. इस बीच, विद्वान ए.जी.ए. इस मामले में निर्देश प्राप्त कर सकते हैं।"

3- आज, जब वाद पुकारा गया, तो विद्वान ए.जी.ए. ने कहा कि उन्हें निर्देश प्राप्त हो गए हैं।

4- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 17.02.2026 के आदेश में दर्ज किए गए प्रस्तुतीकरणों को दोहराया है। वह आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि जिस आवेदक को इस न्यायालय द्वारा अंतरिम अग्रिम जमानत दी गई थी, उसके बारे में यह नहीं कहा गया है कि उसने इसका उल्लंघन किया है।

5- विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है, हालाँकि, वे इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि आवेदक का प्रकरण सह-अभियुक्त के समान आधार पर है।

6- मैंने पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरणों पर विचार किया है।

7- आवेदक को अभियुक्तों द्वारा कथित तौर पर जाली बनाए गए विक्रय अनुबंध का साक्षी कहा जाता है। सह-अभियुक्त, श्रीमती जैतून शान, जिसने श्रीमती नीलम अग्रवाल और गिरीश कुमार

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अग्रवाल के पक्ष में करार निष्पादित किया था, को इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत दे दी गई है और यहाँ तक कि गिरीश कुमार अग्रवाल और नीलम अग्रवाल, जो उक्त विक्रय करार के लाभार्थी हैं, को भी इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत दे दी गई है।

8- ऊपर उल्लिखित तथ्यों और परिस्थितियों, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का प्रकरण सह-अभियुक्त के समान आधार पर है, मैं आवेदक को दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत की पुष्टि करना उचित समझता हूँ।

9- अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

10- मुकदमा अपराध संख्या 385 वर्ष 2024, भा.द.सं. की धारा 323, 504, 506, 420, 467, 468, 471, थाना - वृन्दावन, जिला मथुरा में शामिल आवेदक- **वीरेन्द्र कुमार शर्मा** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे दिनांक 17.02.2026 के पूर्व के आदेश में निर्धारित समान नियमों और शर्तों पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए।

28 मार्च, 2026

कुशल

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)